

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: आदेश :-

निदेशालय एवं अधिनस्थ सक्षम स्तर से अभी तक प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए हैं। उक्त स्थानान्तरण आदेशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी कार्मिक को अपनी परिवेदना प्रस्तुत करनी है तो कारण सहित दिनांक 15.06.2018 तक अपनी परिवेदना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 15.06.2018 के पश्चात् किसी प्रकार की परिवेदना स्वीकार नहीं की जावेगी।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 04.06.18

क्रमांक: -शिक्षा/माध्य/संस्था/सी-8/विविध/2018

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मान. शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
4. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि इस प्रकार की सभी परिवेदनाओं को दिनांक 17.06.2018 तक तत्काल इस कार्यालय को भदवार संकलित कर संलग्न प्रपत्र में मय सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करना व्यक्तिशः सुनिश्चित करेंगे।
6. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा,.....

—:प्रपत्र:—

क्र.स.	मूल आदेशों में क्र.स.	कार्गिक का नाम	विषय	परिवेदना का कारण	क्या टंकित है	क्या संशोधन किया जाना है	अन्य/विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8